पंचायत निगरानी संख्या 44 / 2024

उनवान : अम्बाराम बनाम हरिराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म [illegible] में जारी हुये
07/02/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र सिंह सेवड़ा उपस्थित। प्रार्थी दिनांक 26/11/24 के बाद से असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः श्री प्रार्थी असालतन / वकालतन हाजिर नहीं। प्रार्थी अगामी तारीख पेशी पर अविलम्ब स्वयं के उपस्थित होवें, अन्यथा पत्रावली में अदम पैरवी सम्बन्धी कार्यवाही प्रस्तावित है। लाई तारीख पत्रावली अग्रिम दिनांक 21/02/25 को पेश हो।	

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

21/02/2025 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी असालतन / वकालतन अनुपस्थित। आज वक्त पेशी प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई परन्तु प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। यह प्रार्थी का दायित्व है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र / निगरानी की नियमित पैरवी हेतु उपस्थित रहें। अतः यह पंचायत निगरानी अदम हाजरी-अदम पैरवी में प्रार्थी द्वारा पुनः पेश किये जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner